

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०,
लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,
उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या:एस०पी०एम०यू/एम०आई०एस०/डाटा कार्ड/2017-18/50-ए/8676-2

दिनांक: 20-11-17

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में 128 जिला चिकित्सालयों एवं 823 ब्लॉक पीएमयू में इंटरनेट कनेक्टिविटी के 04 माह (01 दिसम्बर, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक) की धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त आर०ओ०पी० 2017-18 (ROP F.No. 10(7)/2017-NHM-I Dated 06.06.2017) में प्राप्त स्वीकृति एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य कार्यकारी समिति की 99वीं बैठक दिनांक 30.06.2017 के एजेण्डा मद संख्या 99.70 में लिये गये निर्णय के क्रम में, मिशन फ्लैक्सीपूल में एच०एम०आई०एस० एवं एम०सी०टी०एस० के अन्तर्गत एफ०एम०आर० कोड संख्या B15.3.2.7 "Internet Connectivity through LAN / data card" हेतु निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया है:-

Approved Rs. 122.40 Lakh for internet connectivity through LAN/ data cards @ Rs. 5,000/- per month for State M&E Cell, @ Rs.1,500/- per month per District Hospital for 128 District Hospitals and @ Rs 1,000/- per month per block for 823 blocks. This is subject to 100% facility based reporting on HMIS & MCTS / RCH portal and improvement in data quality thereof. These are indicative rates; final rates are to be arrived at as per DGS & D rate contract or after competitive bidding following Government protocols. Internet connectivity proposed under budget head B14.106 has been merged under this budget head.

उपरोक्त मानकानुसार जनपदवार अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

- Rs 1,000/- per month per block for 823 block HMIS computers.
- Rs.1,500/- per month per District Hospital for 128 District Hospitals.

FMR B15.3.2.7- Internet Connectivity through LAN / data card
(From 01-Dec-17 to 31-Mar-2018)

S.N	District	No. of Block	DCH	DMH	DWH	Total	Amount in Rs. For 04 Months
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5	Col.6	Col.7= Col.(4+5+6)	Col.8= [(Col.3 X Rs.1000+ Col.7 X Rs.1500)]*4Month
1	Agra	15	-	1	1	2	72000
2	Aligarh	12	1	1	1	3	66000
3	Allahabad	20	-	2	1	3	98000
4	Ambedkar Nagar	9	1	-	-	1	42000
5	Amethi	13	-	-	-	0	52000
6	J.P Nagar	6	-	-	-	0	24000
7	Auraiya	7	-	-	-	0	28000
8	Azamgarh	22	-	1	1	2	100000
9	Bagpat	6	-	-	-	0	24000
10	Bahraich	14	-	1	1	2	68000
11	Ballia	17	-	1	1	2	80000
12	Balrampur	9	-	1	1	2	48000
13	Banda	8	-	1	1	2	44000
14	Barabanki	15	-	1	1	2	72000

S.N	District	No. of Block	DCH	DMH	DWH	Total	Amount in Rs. For 04 Months
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5	Col.6	Col.7= Col.(4+5+6)	Col.8= [(Col.3 X Rs.1000+ Col.7 X Rs.1500)]*4Month
15	Bareilly	15	-	1	1	2	72000
16	Basti	14	-	1	1	2	68000
17	Bijnor	11	1	-	1	2	56000
18	Budaun	15	-	1	1	2	72000
19	Bulandshahar	16	1	1	1	3	82000
20	Chandauli	9	-	1	-	1	42000
21	Chitrakoot	5	1	-	-	1	26000
22	Deoria	16	-	1	1	2	76000
23	Etah	8	-	1	1	2	44000
24	Etawah	8	-	1	1	2	44000
25	Faizabad	11	-	1	1	2	56000
26	Farrukhabad	7	-	1	1	2	40000
27	Fatehpur	13	-	1	1	2	64000
28	Firozabad	9	1	1	1	3	54000
29	G B Nagar	4	1	-	-	1	22000
30	Ghaziabad	4	1	1	1	3	34000
31	Ghazipur	16	-	1	1	2	76000
32	Gonda	16	-	1	1	2	76000
33	Gorakhpur	19	-	1	1	2	88000
34	Hamirpur	7	-	1	1	2	40000
35	Hapur	4	-	-	-	-	16000
36	Hardoi	19	-	1	1	2	88000
37	Hathras	7	1	-	1	2	40000
38	Jalaun	9	-	1	1	2	48000
39	Jaunpur	21	-	1	1	2	96000
40	Jhansi	8	-	1	1	2	44000
41	Kannauj	8	1	-	-	1	38000
42	Kanpur Dehat	10	1	-	-	1	46000
43	Kanpur Nagar	10	-	2	1	3	58000
44	Kashganj	7	-	1	-	1	34000
45	Kaushambi	8	1	-	-	1	38000
46	Kushinagar	14	1	-	-	1	62000
47	Lakhimpur Kheri	15	-	1	1	2	72000
48	Lalitpur	6	-	1	1	2	36000
49	Lucknow* (+3 Block)	11	1	1	2	4	68000
50	Maharajganj	12	1	-	-	1	54000
51	Mahoba	4	1	-	1	2	28000
52	Mainpuri	9	-	1	1	2	48000
53	Mathura	10	-	1	1	2	52000
54	Mau	9	1	-	-	1	42000
55	Meerut	12	-	1	1	2	60000
56	Mirzapur	12	-	1	1	2	60000
57	Moradabad	8	-	1	1	2	44000
58	Muzaffarnagar	9	-	1	1	2	48000
59	Pilibhit	7	-	1	1	2	40000
60	Pratapgarh	17	-	1	1	2	80000
61	Rae Bareli	18	-	1	1	2	84000
62	Rampur	6	-	1	1	2	36000
63	Saharanpur	11	-	1	1	2	56000

S.N	District	No. of Block	DCH	DMH	DWH	Total	Amount in Rs. For 04 Months
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5	Col.6	Col.7= Col.(4+5+6)	Col.8= [(Col.3 X Rs.1000+ Col.7 X Rs.1500)]*4Month
64	Sambhal	8	-	-	-	0	32000
65	Sant Kabir Nagar	9	-	-	-	0	36000
66	S.R Nagar (Bhadohi)	6	-	1	-	1	30000
67	Shahjahanpur	15	-	1	1	2	72000
68	Shamli	5	-	-	-	0	20000
69	Shrawasti	5	-	-	-	0	20000
70	Siddharth Nagar	14	1	-	-	1	62000
71	Sitapur	19	-	1	1	2	88000
72	Sonbhadra	8	1	-	-	1	38000
73	Sultanpur	13	-	1	1	2	64000
74	Unnao	16	-	1	1	2	76000
75	Varanasi	8	-	3	1	4	56000
		823	19	56	53	128	4060000
रु0 4060000.00 (रु0 चालीस लाख साठ हजार मात्र)							

इण्टरनेट कनेक्टिविटी लेन/डाटा कार्ड के माध्यम से

128 जिला चिकित्सालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु रु0 1,500.00 प्रति माह की दर से एवं 823 ब्लॉक कार्यक्रम इकाइयों (Lucknow +3 Blocks extra) में इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु रु0 1,000.00 प्रति माह प्रति ब्लॉक की दर से बजट प्राविधानित किया गया है। इस धनराशि का उपयोग इंटरनेट कनेक्टिविटी के मासिक बिल के भुगतान, नजदीक के स्वान सेंटर्स (SWAN- state wide Area Network) अथवा साइबर कैफे के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से ब्लाक/जनपद/प्रदेश मुख्यालय सूचनाएं प्रेषित करने के लिए किया जाएगा।

अतः उपरोक्त दी गयी फांट के अनुसार **Internet Connectivity through LAN / data card** हेतु 04 माह (01 दिसम्बर, 2017 से 31 मार्च 2018 तक) की धनराशि रु0 4060000.00 (रु0 चालीस लाख साठ हजार मात्र) समस्त जनपदों को अवमुक्त की जा रही हैं। कृपया उक्त मानकों के अनुसार एच0एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0 मद में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय एफ0एम0आर0 कोड संख्या बी15.3.2.7 से किया जाना सुनिश्चित करें तथा विवरण ससमय प्रेषित करें।

व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देशः

उक्त धनराशियों का व्यय "ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट" में दी गयी व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही किया जाय। निम्न निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें।

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारों की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. जिला स्वास्थ्य समित एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख केशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियाँ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
5. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल बाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

9. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU /NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

तददिनांक

पत्रसंख्या:एस0पी0एम0यू/एम0आई0एस0/डाटा कार्ड/2017-18/50-ए/

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0—एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

(बी0के0 जैन)

महाप्रबन्धक—एम0आई0एस0